न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 30/2021
अनवान : –

1. हुकमाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. लिछमण पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. मेहन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. शंकुन्तला पुत्री मांगेराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. ईमरती पत्नी पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. सज्जना पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. रामेश्वरी पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. धर्मादेवी पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता स0 100/110 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि, रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 220/230 की कुल 19.6270 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पनाराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पनाराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है पनाराम पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है तथा पनाराम का एक पुत्र मांगेराम भी फौत हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस प्रतिवादी स0 3 शकुन्तला है। पनाराम पुत्र सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो पनाराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा [illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता सहमति जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से पनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम 9/10 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ललानाबास दिखनादा सम्वत 2071–74 खाता संख्या 100/110 व 220/230, मृत्यु प्रमाण पत्र पन्नाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेराम, सदस्य प्रमाण पत्र चित्रप्रति बहक पन्नाराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता पन्नाराम पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जवाब प्रार्थना पत्र/ ईकबाल पेश किया गया है कि उक्त वाद भूमि में से पनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम 9/10 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता स0 100/110 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि, रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 220/230 की कुल 9.6[illegible] हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पनाराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज [illegible] का कथन है कि वादी के पिता पनाराम पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है जिसके [illegible]ज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 द्वारा स्वीकार किया किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा पन्नाराम पुत्र सहीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए सहमति/ ईकबाल पेश किया गया है कि उक्त वाद भूमि में से पनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम 9/10 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता स0 100/110 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि में एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 220/230 की कुल 19.6270 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पनाराम उर्फ पन्नाराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में पनाराम उर्फ पन्नाराम पुत्र सहीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 9/10 हिस्सा संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी 3 को 1/10 हिस्सा भूमि का खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड नें अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 30/2021

अनवान : –

1. हुकमाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. लिछमण पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. मेहन्द्रसिंह पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. शंकुन्तला पुत्री मांगेराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. ईमरती पत्नी पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. बिमला पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
6. सज्जना पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
7. रामेश्वरी पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. धर्मादेवी पुत्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 30 सन 2021 निर्णय दिनांक – 01/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता स0 100/110 की कुल 2.7320 हैक्ट भूमि में एवं रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 220/230 की कुल 19.6270 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पनाराम उर्फ पन्नाराम पुत्र सहीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में पनाराम उर्फ पन्नाराम पुत्र सहीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 9/10 हिस्सा संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी 3 को 1/10 हिस्सा भूमि का खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:22 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर